भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/26/2025– डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

दिनांक: 30 जून 2025

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला सं. - एडी (ओआई) 23/2025

विषय: कुवैत, मलेशिया, ओमान सल्तनत, कतर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात से उत्पन्न या निर्यात किए गए "रैखिक कम घनत्व पॉलीथीन" (एलएलडीपीई) के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/26/2025-डीजीटीआर- समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "एडी नियम" भी कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया "सीपीएमए" (जिसे आगे "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा जाएगा) के रूप में संदर्भित ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे " प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समक्ष कुवैत, मलेशिया, ओमान सल्तनत, कतर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात से उत्पन्न या निर्यात किए गए "रैखिक कम घनत्व पॉलीथीन" (जिसे आगे "एलएलडीपीई" भी कहा जाएगा) के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच जांच शुरू करने की मांग की गई है।

2. आवेदक संघ ने आरोप लगाया है कि उपर्युक्त देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित एलएलडीपीई से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंची है और इससे वास्तविक क्षति होने का खतरा है। तदनुसार, आवेदक संघ ने उपर्युक्त देशों से एलएलडीपीई के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (इसके बाद "पीयूसी" के रूप में संदर्भित) रैखिक कम घनत्व पॉलीथीन (इसके बाद "विषय वस्तुओं" के रूप में भी संदर्भित) है। एलएलडीपीई एथिलीन और अन्य एल्केन्स जैसे ब्यूटेन, हेक्सिन या ऑक्टीन का एक कॉपोलीमर है। इसके परिणामस्वरूप एक अनिवार्य रूप से रैखिक श्रृंखला व्यवस्था होती है, जिसमें कोमोनोमर (यानी ब्यूटीन, हेक्सिन या ऑक्टीन) मुख्य कार्बन रीढ़ पर छोटी, नियमित श्रृंखलाएं बनाते हैं। यह एक रंगहीन, गैर-ज्वलनशील, गैर-प्रतिक्रियाशील ठोस है जिसमें कोई गंध नहीं है। यह मुख्य रूप से प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल में पैकेजिंग फिल्मों, प्रोफाइल, तार और केबल, एक्सट्रूज़न कोटिंग, घूर्णी ढाला,

उत्पाद, इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए उच्च प्रवाह ग्रेड, मास्टर बैच आदि जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

4. विषय वस्तुओं को एचएस कोड 3901 10 10 और 3901 40 10 के तहत "प्लास्टिक और उसके सामान" शीर्षक से अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क शीर्षक केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और इस जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक संघ ने दावा किया है कि आवेदक उत्पादकों द्वारा विनिमत विषय वस्तुओं और संबंधित देशों से आयातित विषय वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दो स्रोतों से विषय वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों और वितरण और विपणन के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ताओं ने वस्तुओं का परस्पर उपयोग किया है और कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक उत्पादकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं और संबंधित देशों से आयातित विषय वस्तुओं को एक दूसरे के लिए 'वस्तु की तरह' माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

7. वर्तमान आवेदन सीपीएमए द्वारा हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद "एचपीएल" के रूप में संदर्भित) और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड ((इसके बाद "एचएमईएल" के रूप में संदर्भित) की ओर से दायर किया गया है। आवेदन को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भी समर्थित किया गया है। आवेदक उत्पादकों ने पीओआई के दौरान संबंधित देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक उत्पादक विज्ञापन नियमावली, 1995 के नियम 2 (बी) के संदर्भ में 'प्रमुख अनुपात' का गठन करते हैं।

8. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राधिकारी ने स्वयं को संतुष्ट किया है कि आवेदक उत्पादक एडी नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के संदर्भ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। इसके अलावा, आवेदन एडी नियम, 1995 के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

घ. विषय देश

9. वर्तमान जांच में विषय देश कुवैत राज्य (इसके बाद "कुवैत" के रूप में संदर्भित), मलेशिया, ओमान सल्तनत (इसके बाद "ओमान" के रूप में संदर्भित), कतर राज्य (इसके बाद "कतर" के रूप में संदर्भित), सऊदी अरब साम्राज्य (इसके बाद "सऊदी अरब" के रूप में संदर्भित) और संयुक्त अरब अमीरात (इसके बाद "यूएई" के रूप में संदर्भित) हैं।

ङ जांच की अवधि ("पीओआई")

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (POI) 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) है। जांच के लिए क्षति की अवधि वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-2024 और जांच की अवधि को कवर करेगी।

च. पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

11. आवेदक संघ ने अपने आवेदन में कहा है कि उसने विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं की प्रचलित कीमत तथा विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के निर्यात की कीमत का ब्यौरा प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि, आवेदक संघ ऐसी कीमतों को स्थापित करने के लिए सूचना का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं खोज पाया। इसके अलावा, आवेदक संघ ने यह भी दावा किया है कि विषयगत देशों से तीसरे देशों को निर्यात की कीमतें विषयगत देशों में स्थित उत्पादकों द्वारा आक्रामक निर्यात बाजार लक्ष्यीकरण के कारण पाटित की गई कीमतें होने की संभावना है।

12. आवेदक संघ ने कहा है कि चूंकि सामान्य मूल्य ऊपर उल्लिखित विधियों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवेदक ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9.ए के स्पष्टीकरण (ii) (बी) के संदर्भ में सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है, अर्थात, प्रमुख कच्चे माल (एथिलीन) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और घरेलू उद्योग के आधार पर शेष लागत अनुमानों पर विचार करते हुए विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर। डाटा। तथापि, प्रमुख कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से संबंधित साक्ष्य का सत्यापन इस स्तर पर नहीं किया जा सका। तदनुसार, उचित लाभ माजन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।

ii. निर्यात मूल्य

13. आवेदक संघ ने बाजार आसूचना के आधार पर सीआईएफ निर्यात मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डाटा के आधार पर आयात मूल्य पर विचार किया है। फैक्टरी निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन किए गए थे।

iii. पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और फैक्टरी पूर्व स्तर पर निर्यात मूल्य की तुलना करने पर *प्रथम दृष्टया* यह नोट किया जाता है कि भारित औसत पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और महत्वपूर्ण भी है। *प्रथम दृष्टया*

साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारण लिंक

15. पीओआई में अधीन देशों से आयात की मात्रा में निरपेक्ष के साथ-साथ सापेक्ष शर्तों में वृद्धि हुई है। हालांकि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ गया है, आवेदक एसोसिएशन ने समझाया है कि यह अगस्त 2023 में एचएमईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण था, जिसके कारण सभी वॉल्यूमेट्रिक पैरामीटर सुधार दिखाते हैं. विषय देशों से मूल्य कम करना सकारात्मक है। इसके अलावा, संबंधित देशों से विषय वस्तुओं ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है। पीओआई के दौरान लाभप्रदता पैरामीटरों में गिरावट तेज हो गई है। इस प्रकार, *संबंधित देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में* प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ज. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

16. संबंधित देशों को जांच शुरू करने से पूर्व विज्ञापन महा शिक्षा नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार सूचित किया गया था। भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अनुच्छेद 7.2 के पैरा 3 के तहत यूएई सरकार से प्राप्त पूर्व-दीक्षा परामर्श के अनुरोध के अनुसरण में, 29.06.2025 को दोपहर 12 बजे यूएई के साथ एक परामर्श आयोजित किया गया था। परामर्श के पश्चात्, उन्होंने अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि संयुक्त अरब अमीरात को इस जांच में एक देश न बनाया जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया साक्ष्य पीओआई में डंपिंग और घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति दर्शाते हैं, और इसलिए, संयुक्त अरब अमीरात को इस जांच में विषय देशों में से एक माना जा रहा है। तथापि, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के दौरान जांच की जाएगी।

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि तक पहुंचने के बाद, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित किए गए आयातों के बीच कारण संबंध, और एडी नियम, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है, यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

18. इस जांच में विज्ञापन नियम, 1995 के नियम 6 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. सभी संचार ईमेल पते jd15-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

20. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से विषय देशों की सरकारों, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना फाइल कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस में निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

21. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस दीक्षा अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और इस दीक्षा अधिसूचना में समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस में निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक सबमिशन कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

23. इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय (https://www.dgtr.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रिया से अवगत और अवगत कराया जा सके।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी प्राधिकारी को ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए jd15-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा (ख) एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और प्राधिकृत व्यापारी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

25. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

26. जहां एक इच्छुक पार्टी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगती है, उसे नियम के संदर्भ में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण का उल्लेख करना चाहिए 6 (4) विज्ञापन विज्ञापन नियम, 1995 और इस तरह के अनुरोध को इस दीक्षा अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां देता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, वहां उसे एक साथ विज्ञापन निदेशक नियम, 1995 के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिस के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

28. इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा "गैर-गोपनीय" जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

29. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण अनिवार्य रूप से गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली हो गई है (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

30. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से गोपनीय हैं और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जो प्रकृति या जानकारी द्वारा गोपनीय होने का दावा किया जाता है, जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

32. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और एडी नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण, इस तरह का सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

33. इच्छुक पार्टियां आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं।

34. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या एडी नियम, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

35. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को गैर-सहकारी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

36. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उचित समझी जाती हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी